(52)

न्यायालय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर. (केम्प उज्जैन) म.प्र.

PBR/निगरानी/उज्जैन/स्टाम्प/2017/3710

प्रकरण कमांक / 2017 / पुनरीक्षण

क्षेमा पावर एण्ड इन्फ्रास्ट्रचर कं.प्रा.लि., पता–117, शिवांस पेराडाईज्ड आर.डी.गार्डी मेडिकल कालेज, आगर रोड़ उज्जैन तहसील व जिला–उज्जैन म.प्र.

.... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन द्वारा उप पंजीयक उज्जैन म.प्र. पता– उप पंजीयक कार्यालय, भरतपुरी देवास रोड़, उज्जैन म.प्र.

.... अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन

आवेदक की ओर से न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स् जिला–उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्र. 101 /बी–103/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 13/03/2017 के विरूद्ध यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

विशेष :– माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 9782/2012 में पारित निर्णय दिनांक 17.07.2012 (2012 आर.एन.321 समदारिया बिल्डर्स(मे.) प्रा.लि. विरूद्ध जबलपुर विकास प्राधिकरण तथा अन्य) में पारित निर्णय अनुसार पुनरीक्षण प्रचलन योग्य है।

पार्थी अभिभाषक श्री ....
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 25.09.17
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

173
8/09/17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर क्षेत्रा/शासन

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/2017/3710 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–10–2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–3–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–3–17 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 4–9–17 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश दिनांक 3–3–17 की प्रति आवेदक को भेजी गई है । इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा भी दिनांक 14–3–17 को गारंटी आहरण करते हुये राशि जमा करा दी गई है । अतः स्पष्ट है कि दिनांक 14–3–17 को आवेदक को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश की जानकारी हो गई थी । अतः यदि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन को मान भी लिया जाये कि बैंक द्वारा गारंटी के आहरण से उसे जानकारी हुई, तब भी यह निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है । अतः प्रथमदृष्टया विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से निगरानी अवधि बाह्य मानकर अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	